पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 ई0 (आषाढ़ 02, 1940 शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	325–340	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	479–488	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	07–10	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

16 मई, 2018 ई0

संख्या 673/VIII/18–331 (श्रम)/2002–उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा–शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2018) की धारा–26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय, जनपद चमोली के अन्तर्गत 05–थराली (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निर्वाचन हेतु उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान के दिन 28 मई, 2018 (सोमवार) को, उक्त अधिनियम की धारा–11 के उपबन्धों के अधीन यदि उक्त दिवस को, ऐसी दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान के दिवस को बन्दी दिवस के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,

मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

03 मई, 2018 ई0

संख्या 1163/X–1–2018–04(19)/2006–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयनोपरान्त निम्नलिखित वन क्षेत्राधिकारियों को वन विभाग में राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम
1.	श्री कोमल सिंह
2.	श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव

2. उक्तानुसार पदोन्नत कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगे। यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन कार्मिक द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

3. प्रश्नगत चयन परिणाम/पदोन्नति मा0 सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) सं0–11645–11646 करूणानिधि भारती एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका सं0–02/2018 करूणानिधि भारती व अन्य बनाम सरकार व अन्य में, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0–266/एस0बी0/2017 कोमल सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य आदि में तथा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0–20/एस0बी0/2016, अमरेश कुमार, बृजेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित किए जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

(प्रोन्नति)

03 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 873/VII–2–18/81–उद्योग/2004–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक प्रबन्धक, वेतन बैण्ड–2, ₹ 9,300–34,800, ग्रेड वेतन ₹ 4,200/– (पुनरीक्षित वेतनमान सादृश्य लेवल–6, वेतन मैट्रिक्स ₹ 35,400–1,12,400) के पदों पर कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993, जो उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 एवं उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 के साथ यथाप्रवृत्त है, के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार चयन वर्ष 2017–18 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष सहायक निदेशक/प्रबन्धक के पद पर वेतन बैण्ड–3, ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400/– (पुनरीक्षित वेतनमान सादृश्य लेवल–10, वेतन मैट्रिक्स ₹ 56,100–1,77,500) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0.	अधिकारी का नाम
1	2
1.	श्री एस0 सी0 लोहनी
2.	श्री सी0 बी0 आजाद

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को निम्नानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नत अधिकारियों द्वारा तत्काल पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करते हुए, उद्योग निदेशालय एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।

4. उक्त पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

12 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 43/XXXVi(3)/2018–208/2001–T.C.–I–कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–66, वर्ष 1984) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके सम्मुख स्तम्भ–3 पर अंकित पद/न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम व पदनाम	पद एवं न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री कौशल किशोर शुक्ला, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ऊधमसिंह नगर	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल
2.	श्री महेश चन्द्र कौशिवा, अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन	न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ऊधमसिंह नगर

(1)	(2)	(3)
3.	श्रीमती सविता चमोली, प्रथम अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून	अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून
4.	श्रीमती ज्योत्सना, सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागेश्वर	अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ऋषिकेश, जिला देहरादून
5.	श्रीमती ज्योति बाला, द्वितीय अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), हरिद्वार	अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रूड़की, जिला हरिद्वार

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

20 मार्च, 2018 ई0

संख्या 437/II(1)–2018–01(42)(430)/2012–नियमित चयनोपरान्त श्री रवि प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल–13, ₹ 1,23,100–2,15,900 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पद के सापेक्ष पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिक को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना के आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे।

4. उक्त पदोन्नति ज्येष्ठता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 22/एस0बी0/2016, श्री सुभाष चन्द्र बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

अधिसूचना/सेवानिवृत्ति

28 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 756/II(1)–2018–01(22)/2018–वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम 56 के खण्ड (ग) एवं शासनादेश संख्या 1844/कार्मिक–2/2002, दिनांक 09.04.2003 के अन्तर्गत श्री आनन्द सिंह बृजवाल, मुख्य अभियन्ता (सिविल), स्तर–2, अल्मोड़ा को उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दी गई नोटिस दिनांक 26.02.2018 एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 197/प्र0अ0/सि0वि0/का0–1/ई–5/सामा0, दिनांक 15.03.2018 द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री आनन्द सिंह बृजवाल को दिनांक 30.04.2018 की अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

14 मई, 2018 ई0

संख्या 491 / XX–1–2018–2(32)2003–भारतीय पुलिस सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), बैच–2004 के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उप महानिरीक्षक, वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13क के पद पर तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्रीमती विमला गुंज्याल (2004)
2. श्री अजय जोशी (2004)

2. उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

विज्ञप्ति / पदोन्नति

14 मई, 2018 ई0

संख्या 492 / XX–1–2018–2(32)2003–भारतीय पुलिस सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग), के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ–3 में अंकित तिथि से पुलिस अधीक्षक (चयन श्रेणी), वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13 के पद पर दिनांक 01.01.2018 से प्रोन्नति प्रदान किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3
1.	श्री जगतराम जोशी, 2005	01 जनवरी, 2018
2.	श्री के0 एस0 नगन्याल, 2005	01 जनवरी, 2018
3.	श्री एन0 एस0 नपलच्याल, 2005	01 जनवरी, 2018

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति

17 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 506 / VII–1 / 2018 / 46 ख / 17–खनिज विकास एवं राजस्वहित में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–23(1) के प्रावधानानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाने हेतु जनपद चमोली के निम्नांकित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को विज्ञापित किए जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	ग्राम, तहसील	खाता सं0	खसरा सं0	क्षेत्रफल	उपखनिज	भूमि की श्रेणी / वर्ग	अनुमानित मात्रा (घनमीटर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बांजबगड़, चमोली	03 व 05	01	4.379 म0, 0.764 हे0	रेता, बालू, बोल्डर	श्रेणी 10(1), नदी (NZA)	7640

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	जौला (ऊणीबगड़ तोक) थराली	042	01	3.669 हे0म0, 0.375 हे0	रेता, बालू, बोल्डर	श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि (NZA)	4687.5
3.	चैपड़ों, थराली	25 व 12	1115 व 1116	1.856 हे0 व 1.235 हे0 कुल रकवा 3.091 मध्ये 0.900 हे0	रेता, बालू, बोल्डर	श्रेणी 1(क), नाप भूमि	13500

2. उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्रों से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

विज्ञप्ति

16 मई, 2018 ई0

संख्या 1107/VII–1/2018/46 ख/17 टीसी–खनिज विकास एवं राजस्वहित में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–23(1) के प्रावधानानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाने हेतु जनपद अल्मोड़ा एवं बागेश्वर के निम्नांकित रिक्त क्षेत्रों को विज्ञापित किए जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	तहसील	नदी का नाम	ग्राम/क्षेत्र	खाता सं0	खसरा सं0	क्षेत्रफल हे0 में	भूमि की श्रेणी/ राजस्व/ निजी	मात्रा	खनिज का प्रकार
जनपद अल्मोड़ा									
1.	स्यालदे	रामगंगा	काचूली बगड	–	123	0.394	–	6934 टन	आर0बी0एम0
2.	रानीखेत	कोसी नदी	बोहरागाँव	–	714 म	1.600	10(1) जल मग्न	45600 टन	आर0बी0एम0
जनपद बागेश्वर									
1.	बागेश्वर	–	बमराडी	192	72, 100	2.282	राजस्व क्षेत्र	5500 टन	मिश्रित आर0बी0एम0
2.	गरूड़		सिटोली–माल्दे	गै0ज0वि0 ख0 खा0स0 33, 35 गै0ज0वि0 ख0 स0 26, 28	46, 47, 1031, 1039, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 648, 721	दोनों ग्राम का क्षेत्र 1.995 हे0 उपखनिज चुगान हेतु प्रस्तावित रकवा 1.400 हे0 नदी के किनारे से 15–15 प्रतिशत भूमि छोड़ते हुए	राजस्व क्षे0 (गोमती नदी अन्तर्गत)	12568 घनमीटर	मिश्रित आर0बी0एम0
3.	गरूड़	गोमती नदी	कनस्यार पट्टी गरूड़	–	–	0.975	–	17160 टन	मिश्रित आर0बी0एम0
4.	कपकोट	–	कालापैर कापडी	17	1805 मध्ये	0.510	राजस्व क्षेत्र	12000 टन	मिश्रित आर0बी0एम0

2. उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्रों से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

विज्ञप्ति

22 मई, 2018 ई0

संख्या 1218/VII–1/2018/46 ख/17 टीसी–खनिज विकास एवं राजस्वहित में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम–23(1) के प्रावधानानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किए जाने हेतु जनपद नैनीताल के निम्नांकित रिक्त क्षेत्रों को विज्ञापित किए जाने की, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	नदी का नाम	लाट सं0/ ग्राम का नाम	तहसील	क्षेत्रफल	उपखनिज की मात्रा	उप खनिज का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 1	हल्द्वानी	4.00 हे0	60,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
2.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 2	हल्द्वानी	3.5 हे0	52,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
3.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 3	हल्द्वानी	4.80 हे0	72,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
4.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 4	हल्द्वानी	1.50 हे0	22,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
5.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 5	हल्द्वानी	1.50 हे0	22,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
6.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 6	हल्द्वानी	1.20 हे0	18,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
7.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 7	हल्द्वानी	1.20 हे0	18,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
8.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 8	हल्द्वानी	3.50 हे0	52,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
9.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 9	हल्द्वानी	2.20 हे0	33,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
10.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 10	हल्द्वानी	1.50 हे0	22,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
11.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 11	हल्द्वानी	4.50 हे0	2,02,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
12.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 12	हल्द्वानी	2.75 हे0	41,250 घनमीटर	आर0बी0एम0
13.	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज)	सुखी नदी	लाट सं0 13	हल्द्वानी	2.70 हे0	40,500 घनमीटर	आर0बी0एम0
14.	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग (गदगदिया रेंज)	भाखडा नदी (डाउनस्ट्रीम)	चुआखत्ताव पीपलपडाव खत्ता तक	हल्द्वानी	60.00 हे0 लगभग	9,00,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
15.	नैनीताल वन प्रभाग (नैना रेंज)	जाख घूना नाला	घूना	कोश्याकुटोली	7.20 हे0	72,000 घनमीटर	आर0बी0एम0

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी (बरहैनी)	बौर नदी	वन क्षेत्र	कालाढूंगी	70 हे0	10,50,000 घनमीटर	आर0बी0एम0
17.	रामनगर वन प्रभाग	निहाल नदी	वन क्षेत्र	कालाढूंगी	100 हे0	15,00,000 घनमीटर	आर0बी0एम0

2. उक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्रों से उपखनिज चुगान हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

04 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 887 / XX–1 / 2018–2(16)2006 टी0सी0–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भा0पु0से0 के निम्नलिखित अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित तिथि से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं बैच वर्ष	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री मोहन सिंह बंग्याल, भा0पु0से0–2000	02.04.1958	30.04.2018

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप / शुद्धिपत्र

28 मार्च, 2018 ई0

संख्या 691 / VII–2–18 / 41–एम0एस0एम0ई0 / 2016 टी0सी0–शासनादेश संख्या 403 / VII–2–18 / 41–एम0एस0एम0ई0 / 2016, दिनांक 22.02.2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य की स्टार्ट–अप नीति–2018" के प्रस्तर संख्या–5 के अन्तिम पैरा "जो कि राज्य अद्यमिता एवं नवोन्मेष परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे" की व्यवस्था है। उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त शासनादेश के प्रस्तर–5 के अन्तिम पैरा के स्थान पर "जो कि स्टार्ट–अप काउंसिल द्वारा अनुमोदित किए जायेंगे" पढ़ा जाए।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

OFFICE MEMORANDUM

March 28, 2018

No. 403/VII-2-18/41-MSME/2016--Government of India has announced the Start-Up India initiative with the objective of providing conducive environment for Stat-Ups in the country. Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India has already issued a notification No. 113,

dated 17.02.2016 for identification, recognition etc. of Start-Up. In line with the above, after due deliberations, Hon'ble Governor of Uttarakhand is pleased to permit publication of Uttarakhand Start-Up Policy-2018, replacing Uttarakhand Start-Up Policy, 2017 notified *vide* Office memorandum No. 955/VII-2-17/41-MSME/2016, dated 29.06.2017 to promote investment in the area of incubation and Start-Up and to nurture students passing out of vauious technical Institutes of the State into entrepreneurs :

"Uttarakhand State Start-Up Policy, 2018"

1. **Vision :**

To foster an ecosystem for nurturing the spirit of entrepreneurship in Uttarakhand, thereby positioning the state as the most start-up friendly state in India.

2. **Objectives :**

The policy aims to achieve the following :

a. Facilitate and nurture the growth of at least 500 new Startups in Uttarakhand.

b. Facilitate access to investment for aspiring and existing entrepreneurs.

c. Create a spirit of entrepreneurship by changing the present trend of job seeking to job creating.

3. **Definition :**

3.1. **Entity**

A Company (as per the Companies Act, 2013) a Registered Partnership Firm (Under the Partnership Act, 1932) or Limited Liability Partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008).

3.2. **Start-Up**

An entity shall be considered a "Startup" under this Uttarakhand Startup policy if it fulfills all the four conditions given below or if the entity is recognized under the Startup India initiative and fulfills the fourth condition below;

1. The date of incorporation/registration is not prior to seven years. In case an entity is engaged in the biotech sector, the date of its incorporation/registration should not be prior to ten years; And
2. Its annual turnover does not exceed ₹ 25.00 crore for any preceding financial year; And
3. Such an entity should not be an extension of existing family business; or formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence;
4. It is incorporated/registered in Uttarakhand or employs at least 50 percent of its total qualified workforce from Uttarakhand, which shall not include contract employees;

Changes/modification made by Government of India from time to time in connection with the aforementioned conditions specified in Sl. no. 1 to 3 will also be applicable to the State of Uttarakhand.

3.3. **Incubator**

An organization designed to support Startup companies during the early stages to help develop a scalable business model through business support resources and services such as physical space, capital, coaching and mentoring, common services including corporate and legal services and providing networking opportunities.

Any entity funded or registered under any central or State Government shall also be considered as an incubator for this policy. For instance, Technology Business Incubator (TBI) under Department of Science & Technology and Atal Incubation Centre under NITI Aayog.

1. The incubator entity must be a registered entity falling under one of the following categories :

(i) Society (under The Societies Registration Act, 1860),

(ii) Section 8 Company (under the Companies Act, 2013),

(iii) A Company (under the Companies Act, 2013),

(iv) Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act, 2008),

(v) Public Charitable Trust (under the Indian Trusts Act, 1882).

2. The incubator entity should facilitate at least 3 months of in person or virtual interactions between its incubatee and mentors when in operation.

3.4. **Angel Investor**

Angel Investors are usually affluent or high net worth individuals, who provide early/seed stage financing to Startups. In return for the capital provided, they receive ownership in the form of equity stake or convertible debt in the invested entity.

3.5. **Angel Network**

An angel network is a group of angel investors, who pool their investments together and the pool, which is professionally managed is used to fund early stage businesses. Angel groups, which pool the resources and knowledge of their members, can overcome many limitations associated with solo investing and investing in risky environments, such as emerging markets.

3.6. **Innovation**

The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value for which customers will pay. Innovation involves application of information, imagination and initiative in deriving greater or different values from resources.

3.7. **University**

University established or incorporated under a Central Act or a State Act or any such institution as may be recognized by University Grants Commission.

3.8. **Startup Council**

The Startup Council is a body constituting of members chosen from Government and Private background, to monitor and implement the Startup Uttarakhand Policy. The Department shall constitute the Council separately.

3.9. **Task Force**

A Task Force shall be constituted at the level of Directorate of Industries under the Chairpersonship of the Commissioner, Industries, who shall be authorized to provide financial incentives (upto INR 10 Lakhs per beneficiary) to the Startups/Incubators recognized by the Start-up Council under this policy.

3.10. **Nodal Agency**

Reputed organization/society approved by the Start-Up Council for certifying all categories of Start-ups.

4. **Policy Period :**

Uttarakhand's Start-up Policy will be valid for a period of 7 years from the date of its notification or until further orders.

5. **Focus Sectors :**

The primary focus sectors for the policy are given below :

1. Travel and Tourism
2. Food Processing and Agriculture (Horticulture included)
3. AYUSH
4. Education
5. Healthcare
6. Biotechnology
7. Pharmaceuticals

Apart from the sectors listed above, other sectors approved by Startup council from time to time will also be eligible under this policy.

6. **Benefits/Incentives :**

6.1. Startup

An entity recognized as a "Startup" by the Startup Council will be eligible to avail the following benefits/ incentives :

6.1.1. Monthly Allowance

Monthly Allowance of ₹ 10,000 for a maximum period of one year will be paid to the General category Start-Ups selected by the Start-up Council. In case the Startup is operated by SC/ST/ women/physically challenged Startup or belongs to Category-A regions of MSME Policy 2015, the monthly allowance will be increased to ₹ 15,000.

6.1.2. Marketing Assistance

Upon approval from Start-up Council, recognized start-ups may be given Marketing assistance of up to ₹ 5.0 Lakhs for marketing/publicity of innovative product.

Under this policy, if the Startup is being operated by SC/ST/women/physically challenged entrepreneurs in any of the focus sectors or belongs to Category-A district of Uttarakhand MSME Policy 2015, the marketing assistance allowance will be increased to ₹ 7.5 lakhs. This assistance will be provided only once to the Start-Ups.

6.1.3. Reimbursement

Patent (Intellectual Property)

Start-Ups will be eligible for reimbursement of up to 100% of actual cost of Patent fees (including filing fees, Attorney Fees, research fees, maintenance fees). Reimbursement of up to ₹ 1 Lakh for Indian Patent and up to ₹ 5 lakh for international patent will be payable. 75% of the reimbursement will be payable at the time of filing of application and 25% reimbursement at the time of prosecution.

Stamp Duty

All Startups that have been recognised by the Start-up council will be given exemption from stamp duty on lease deed/space/purchase of land as per the categories defined in the MSME Policy 2015.

State Goods & Services Tax

The SGST to be submitted by the Start-ups recognized by Startup Council after adjustment of applicable ITC upon supply of material by concerned firm/industry for consumption (B2C) within the State will be reimbursed by Uttarakhand State from the budget.

6.1.4. Infrastructure support

The list of incubators and Common Facility Centres will be made available on the Uttarakhand Startup portal and will be updated on a real time basis.

Incubation Space

Startups recognised by Startup Council and operated by Scheduled Caste/Scheduled Tribes/ Women/Physically challenged will be provided space at a discount of 25% of notified rates at recognised Incubators.

6.1.5. Need based assistance

Need based assistance of up to ₹ 5 lakhs will be given to Startups recognised by Startup Council towards cost of raw material/components and other related equipment required for the innovative process for new product development/existing product improvement. However, this assistance will be provided only in case (s) where innovation is dependent or specific raw material/ equipment and subject to approved by the Startup Council.

6.2. Incubators

An entity recognised as an "Incubator" by the Startup Council will be eligible to avail the following benefits/incentives :

6.2.1. Capital Grant

Capital Grant of 50% of the capital cost up to a maximum of ₹ 1 crore will be provided to the incubators. This assistance will be provided only once and the capital cost will exclude the cost of building and land. This assistance will be provided to set up a new incubator or scale up an existing incubator.

6.2.2. Running expense

Incubators recognized by Startup Council will be given ₹ 2 lakhs per year as part of operating and management expenses, for a period of 3 years.

7. **Funding :**

In order to facilitate access to investment opportunities, the Government shall encourage the Banks and financial institutions to enhance and extend their existing schemes of lending to the Start-ups on convenient terms (Eg. collateral-free lending, soft loans etc.)

7.1. Setup of Angel Network

The State Government of Uttarakhand will encourage high net-worth individuals (HNIs), industrialists, successsful enterpreneurs, University alumni and highly experienced business executives and professionals to create an angel network (Uttarakhand Angels) and 'social impact investor groups' which will help with early stage funding needs of Startups in Uttarakhand.

7.2. Matching Grant

With the objective of providing alternate finance to Incubators recognised by State Government which are managing Seed Fund Scheme of Government of India, a sum equal to that obtained from Government of India or ₹ 2 Crore, whichever is lesser shall be provided.

7.3. Other Assistance

The State Government will take necessary steps to implement various services such as exemption form inspection, exemption from taxes and self-certification etc, as provided by Government of India to Start-ups in the State.

8. **Academic Support :**

8.1. Syllabus Update

Schools, Colleges and Universities will be advised to update their respective curriculums to include a compulsory course on "Enterpreneurship Development" as an optional subject, to inspire students with the aspiration, capacity and inclination towards enterpreneurship.

8.2. Inclusion of Massive Open Online Course (MOOCs) in curriculum

Various nationally and internationally accredited Massive Open Online Courses focussed on enterpreneurship shall be included in the academic curriculum. These Massive Open Online Courses may be taken by the students as electives and may be assigned to them depending upon their interest.

8.3. Establishment of EDC (Entrepreneurship Development Cell) Network

Colleges/Universities will be encouraged to set-up EDCs to encourage students to take up entrepreneurship at the college level. These will be a part of the hub and spoke model envisioned and will assist in facilitating technology transfer and commercialization in their respective institutes. Two focal Entrepreneurship Promoting Bodies (EPBs) will be initiated at IIT, Roorkee and IIM, Kashipur.

8.4. Training of trainers

Innovation and entrepreneurship teachers can propel the youth towards breakthrough discoveries. Strong Emphasis will be put on training the local faculty by industry veterans, corporate and other leaders from startup ecosystem.

8.5. Project Work

Student entrepreneurs working on start-up ideas in any of their graduation year will be permitted to convert their start-up project as their final year project towards their degree completion.

9. **Other initiatives :**

9.1. Mentorship bootcamps

The Government will take necessary steps to promote entrepreneurship at school and college level by establishing Boot Camps in schools and colleges as required. These bootcamps will be in partnership with national and international incubators, accelorators, startup evangelists and industry associations to ensure :

1. Participating students and entrepreneurs get necessary mentorship,
2. Information dissemination of global best practices.

9.2. Idea Challenge

To promote the spirit of entrepreneurship, a region wise Idea Challenge will be conducted every six months, wherein upto top 10 winning ideas will get a one-time cash prizes of ₹ 50,000 to build on their idea.

9.3. Annual Startup Festival of Innovations

Entrepreneurship and Innovation themed annual festival of innovations will be conducted to encourage the youth to have a problem-solving mindset and take up entrepreneurship. The focus of the event will be to:

1. Provide a platform to showcase innovations,
2. Invite International experts to interact with local ecosystem stakeholders.

10. **Enablement :**

To ensure smooth execution of the Startup Uttarakhand policy, the State Government will ensure the following :

10.1. Startup Portal & Mobile App

The state government will develop a Startup Portal and App which will aggregate all information related to the policy, its benefits and the procedure to avail them.

10.2. Dedicated Helpline

A dedicated helpline to answer all Startup related queries will be started in English and Hindi. The helpline shall assist in addressing all queries in areas such as registering a business, raising funds/ loans, policy clarifications, etc.

10.3. Promotion

The State Government shall promote Uttarakhand as a startup destination through participation in international and national events. In such events, participation of local Start-Ups and various other agencies will be sponsored.

10.4. Review Mechanism

The Task force shall review this policy once a year to examine the usefulness of the policy, the case of implementation and the outcomes achieved. The report shall be placed before the Startup Council.

This order is being issued by the approval of Finance Department of Government of Uttarakhand received vide letter no. 196/XXVII(8)/2018 dated February 22, 2018.

By Order,

MANISHA PANWAR,

Principal Secretary.

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

23 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 719/XIX–1/18–126/2008–तात्कालिक प्रभाव से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन चयन वर्ष 2015–16 में उपलब्ध जिला पूर्ति अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100 (ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पद पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर सुश्री शिल्पी शुक्ला, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त एतद्द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400 {7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल–10) ₹ 56,100–1,77,500} पर पदोन्नत करते हुए, अग्रिम आदेशों तक वर्तमान स्थान पर ही तैनात किया जाता है।

2. सुश्री शिल्पी शुक्ला को जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई है तथा उक्त पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी। सुश्री शिल्पी शुक्ला को शासन द्वारा समय–समय पर निहित आदेशों के अनुरूप महंगाई भत्ता/अन्य भत्ते देय होंगे।

4. सुश्री शिल्पी शुक्ला को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पद पर तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक सम्बन्धी सूचना शासन/आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते है, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को, तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 338/XXVIII–3–2018–100/2009 (टी0सी0)–खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 70 के प्राविधानानुसार हल्द्वानी, नैनीताल में स्थापित अपीलीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी की तैनाती हेतु मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा संस्तुत श्री एस0एम0डी0 दानिश, प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऋषिकेश, देहरादून को तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. नवनियुक्त पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम 3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी।

3. उक्त अधिसूचना महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 1485/UHC/XIII-b-3/Admin.A/2012, दिनांक 10.04.2018 के अनुक्रम में निर्गत किए जा रहे है।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2018 ई0

संख्या 369/2018/07(100)/XXVII(8)/08–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के संस्तुति पत्र संख्या–1651/XIII-f-7/Admin.A/2004, दिनांक 18.04.2018 के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 54 की उपधारा (2)(क) एवं उपधारा (4)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एस0 के0 त्यागी, Presiding officer, Labour Court, देहरादून को अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/317–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 ई0 (आषाढ़ 02, 1940 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

May 24, 2018

No. 188/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2013--Ms. Rashmi Goyal, Civil Judge (Jr. Div.), Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 22 days *w.e.f.* 20.04.2018 to 11.05.2018 with permission to suffix 12.05.2018 & 13.05.2018 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

May 24, 2018

No. 189/UHC/XIV-a-59/Admin.A/2012--Smt. Payal Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 02 days *w.e.f.* 09.05.2018 to 10.05.2018.

NOTIFICATION

May 24, 2018

No. 190/UHC/XIV-a-4/Admin.A/2009--Sri Dhirendra Bhatt, Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 04.05.2018 to 14.05.2018.

NOTIFICATION

May 24, 2018

No. 191/UHC/XIV-a/36/Admin.A/2012--Sri Ravi Shankar Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 25.04.2018 to 09.05.2018.

NOTIFICATION

May 24, 2018

No. 192/UHC/XIV/8/Admin.A/2008--Ms. Reena Negi, 2nd Additional District Judge, Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 11 days *w.e.f.* 03.05.2018 to 13.05.2018.

NOTIFICATION

May 26, 2018

No. 193/UHC/XIV/71/Admin.A/2003--Smt. Neena Aggarwal, Additional District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 05.03.2018 to 24.03.2018 with permission to prefix 01.03.2018 to 04.03.2018 as local holiday, Holi holidays & Sunday holiday respectively and suffix 25.03.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

01 June, 2018

No. 197/UHC/XIV-a-36/Admin.A/2016--Sri Rajendra Kumar, Judicial Magistrate, Tanakpur, District Champawat is hereby sanctioned medical leave for 14 days *w.e.f.* 01.05.2018 to 14.05.2018.

NOTIFICATION

05 June, 2018

No. 198/XIV-a-32/Admin.A/2016--Ms. Aiswarya Bora, Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 32 days *w.e.f.* 18.04.2018 to 19.05.2018 with permission to suffix 20.05.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

05 June, 2018

No. 199/UHC/XIV-31/Admin.A/2008--Sri Madan Ram, Civil Judge (Sr. Div.), Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 07.05.2018 to 16.05.2018 with permission to prefix 06.05.2018 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

05 June, 2018

No. 200/UHC/XIV-a-41/Admin.A/2016--Sri Puneet Kumar, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned eamed leave for 30 days *w.e.f.* 20.04.2018 to 19.05.2018 with permission to suffix 20.05.2018 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

04 जून, 2018 ई0

ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 1239/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/18–19/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 458/2018/5(120)/XXVII(8)/2018 CT-22, दिनांक 25 मई, 2018 तथा आयुक्त राज्य कर द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1110/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-24, दिनांक 30 मई, 2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएन–1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु 27 दिसम्बर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी एवं अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरणी देने में असफल रहने के लिए विलम्ब शुल्क का अधित्यजन किए जाने सहित प्ररूप जीएसटी टीआरएन–1 में घोषणा दिनांक 10 मई, 2018 को या उससे पूर्व तथा प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरणी दिनांक 31 मई, 2018 को या उससे पूर्व ऐसे प्रत्येक माह के लिए दाखिल करेंगे तथा राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है।

उक्त अधिसूचनाओं की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/ व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8
अधिसूचना

25 मई, 2018 ई0

संख्या 458/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-22–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु 27 दिसम्बर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस का अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

परन्तु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व, ऐसे प्रत्येक महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी फाइल करेंगे।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 458/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-22,** Dated May 25, 2018 for general information.

NOTIFICATION

May 25, 2018

No. 458/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-22--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 128 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to waive the late fee payable under section 47 of the said Act for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018, for the class of registered persons whose declaration in **FORM GST TRAN-1** was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017;

Provided that such registered persons shall file the declaration in **FORM GST TRAN-1** on or before the 10th day of May, 2018 and the return in **FORM GSTR-3B** for each of such months, on or before the 31st day of May, 2018.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड
(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

30 मई, 2018 ई0

संख्या 1110/सी0एस0टी0यू0के0/जी0एस0टी0–विधि/2018–19/CT-24–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 83 के उपनियम (3) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को, उक्त उपनियम के अनुसार परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित करती हूँ।

सौजन्या,
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

May 30, 2018

No. 1110/CSTUK/GST-Vidhi Section/2018-19/CT-24--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with sub-rule (3) of rule 83 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby notifies the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, as the authority to conduct the examinations as per the said sub-rule.

SOWJANYA,
Commissioner, State Tax,
Uttarakhand.

पीयूष कुमार,
अपर आयुक्त (वि0वे0) राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

कार्यालयादेश

26 मार्च, 2018 ई0

पत्रांक 945 ॥ निलम्बन/2016–निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत, ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है:–

	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेन्स संख्या/ श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बसंतराम पुत्र श्री बनारसी लाल, निवासी म0 नं0 143, ग्राम कासनी, जिला पिथौरागढ़	UK-0520150019410, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 15.02.2035	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
2.	श्री विवेक प्रजापति पुत्र श्री सुन्दर लाल प्रजापति, निवासी 193/1, वार्ड नं0 2, ट्रॉजिट कैंप, रूद्रपुर, ऊ0सिंह नगर	UK-0620140086580, हल्का वाहन, मो0 साइकिल NT/Trans [TR], TRANS [TR], वैधता 29.06.2029	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
3.	श्री डोरी लाल पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी चौड़ी साकेतपुर, विशालपुर, बरेली	UP-2520040014218, हल्का वाहन, मो0 साइकिल NT/Trans [TR], वैधता 04.02.2021	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
4.	श्री शिव कुमार पुत्र श्री राम गुलाम, निवासी जिंदखेड़ा पारामोरावन, उन्नाव, उ0प्र0	UP-2620170002710, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 18.06.2034	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
5.	श्री पवन कुमार पुत्र श्री महेन्द्र पाल, ग्राम सिकन्दरपुर वैश्य, कसगंज, उ0प्र0	UP-87120100002127, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), TRANS [TR], वैधता 10.04.2019	उपरोक्तानुसार	वाहन संचालन में मोबाइल का प्रयोग	26.03.2018 से 25.06.2018
6.	श्री श्यामवीर सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह, निवासी ग्राम विक्टोजी, थाना खुदाईगढ़, मुरादाबाद	UP-2120010190462, हल्का वाहन (NT)/ट्रॉस (TR), वैधता 01.12.2019	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
7.	श्री हरमीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह, निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320080023912, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/पीएसवी बस, ट्रॉस (TR), वैधता 20.07.2018	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
8.	श्री ओमवीर सिंह पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी रेलवे स्टेशन, ऑवला, बरेली, उ0प्र0	UP-251991050446, हल्का वाहन, NT TRANS TR, वैधता 15.11.2019	उपरोक्तानुसार	खतरनाक संचालन	26.03.2018 से 25.06.2018

1	2	3	4	5	6
9.	श्री धरम सिंह पुत्र श्री हीरा लाल, निवासी धवानी हसनपुर, तह0 बिलासपुर, जिला रामपुर, उ0प्र0	UP-2220100014384, मोटर साइकिल, हल्का वाहन (NT)/ ट्रॉस (TR), वैधता 31.12.2019	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
10.	श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री पी0 सिंह, निवासी 66, सुनारसी ऑवला, बरेली	UP-25200510972, मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन (NT)/TRANS [TR], वैधता 25.12.2020	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
11.	श्री कृष्ण सिंह पुत्र श्री यादव सिंह, ग्राम बमनवागाँव, पो0 रियासी, चम्पावत	UK-0320050004847, मो0सा0 विदाउट गियर, हल्का मोटर वाहन (NT)/ TRANS [TR], वैधता 18.02.2021	उपरोक्तानुसार	निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
12.	श्री ललित मोहन पुत्र श्री भुप राम, निवासी ग्राम मुदिया करोर, थाना व तह0 बीसलपुर, पीलीभीत, उ0प्र0	UP-2520130009281, मोटर साइकिल, हल्का मोटरयान NT, TRANS [TR], वैधता 19.01.2021	उपरोक्तानुसार	क्षमता से अधिक सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
13.	श्री वीरेश कुमार पुत्र श्री धीरेन्द्र सिंह, निवासी अमृतपुर सयोदरा, पो0 सयोदरा, मुरादाबाद, उ0प्र0	UP-21201860001879, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 06.02.2038	उपरोक्तानुसार	खतरनाक संचालन	26.03.2018 से 25.06.2018
14.	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष अग्रवाल, निवासी नकुलिया सितारगंज, ऊ0सिं0 नगर	UK-0620130072664, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 21.08.2020	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
15.	श्री कृष्णा कुमार कश्यप पुत्र श्री रामकिशोर, निवासी मो0 बजरिया छतार, शॉहजानपुर, उ0प्र0	DL-23513/SJP/08, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 13.02.2028	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
16.	श्री कमल कुमार शर्मा पुत्र श्री पूरन प्रसाद, निवासी ग्राम पलहण्डा मिलक, पीलीभीत, उ0प्र0	DL-6027/pbt, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 28.06.2024	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
17.	श्री राम निवास पुत्र श्री बनवारी, निवासी जफरनगर, डुँगरपुर, बदायूँ	UP-2420140001235, हल्का वाहन, मो0 साइकिल NT, TRANS[TR], वैधता 23.06.2024	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
18.	श्री दफेन्द्र सिंह पुत्र श्री झब्बु लाल, निवासी नगला मनी, पो0 नगला सिंमार, जिला मैनपुरी	UP-8420150002339, मो0 साइकिल, हल्का वाहन (NT), LMV CAB TR, वैधता 01.05.2020	उपरोक्तानुसार	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
19.	श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री गोरे लाल, निवासी मौहम्मदपुर, कानपुर	UP-7420140001830, हल्का वाहन, मोटर साइकिल (NT) वैधता 13.03.2034	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018

1	2	3	4	5	6
20.	श्री गंगाराम पुत्र श्री छोटई, निवासी महतवाड़ा सन्डीला, हरदोई, उ0प्र0	UP-851990000528, हल्का वाहन (NT), TRANS[TR], वैधता 22.10.2019	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
21.	श्री राम अवतार पुत्र श्री उमा शंकर, निवासी 375, ग्राम अलहादपुर सिरसा, कमालपुर, लखनऊ	UP-3219990028188, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), TRANS[TR], वैधता 28.07.2018	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
22.	श्री याद राम पुत्र श्री इवरन सिंह, निवासी मेहरा बरकत, बदायूँ, उ0प्र0	UP-03201700033769, हल्का वाहन NT, TRANS[TR], वैधता 15.04.2030	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
23.	श्री अमर सिंह पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी 42, टी महाउद्दीन ऑवला, बरेली	A-9054/BLY/05, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 12.01.2025	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
24.	श्री सत्य कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी सरैया विलिया, पो0 शिवराजपुर, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0	UP31-11016442, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 17.08.2031	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
25.	श्री नीलेश कुमार पुत्र श्री बादशाह, निवासी मानपुर, पो0 रामानगर, जिला मैनपुरी, उ0प्र0	UP-8420150017783, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), TRANS, वैधता 13.12.2035	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
26.	श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री ब्रह्म सिंह, निवासी लौका, पो0 नीमगाँव पैला, लखीमपुर	2431/LKH/05, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 25.02.2025	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
27.	मो0 नौसाद पुत्र मो0 मिस्टर, निवासी मौह0 जाकिर किला छिबरा, मऊ, कन्नौज, उ0प्र0	UP-7420160001605, मो0 साइकिल, हल्का वाहन (NT), वैधता 19.02.2036	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
28.	श्री इन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकुमार, निवासी झाउपुरथाना विसौली, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0	DL-28986/LKH, हल्का वाहन, मो0 साइकिल, (NT), वैधता 10.05.2027	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
29.	श्री शिव कुमार पुत्र श्री दिनेश कुमार, निवासी कन्धारपुर कैंट, बरेली	UP-2520150023063, हल्का वाहन, मो0 साइकिल, (NT), TRAS[TR], वैधता 22.05.2020	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
30.	श्री श्रीनिवास शर्मा पुत्र श्री पोषकी लाल शर्मा, निवासी एफ07/215, सेक्टर 16, रोहणी, दिल्ली 110085	DL-1120140291921, हल्का वाहन, मो0 साइकिल, (NT), वैधता 11.12.2019	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018

1	2	3	4	5	6
31.	श्री लखनलाल पुत्र श्री चेत राम, निवासी मौह0 थानसिंह, थाना सुनगढ़ी, पीलीभीत	UP-2619960009961, हल्का वाहन, (NT), TRAS[TR], वैधता 15.11.2020	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	26.03.2018 से 25.06.2018
32.	श्री राम प्रकाश पुत्र श्री गया प्रसाद, निवासी ग्राम, पो0 व थाना मैलानी, लखीमपुर खीरी	UP-2520150023063, हल्का वाहन, मो0 साइकिल, (NT), वैधता 09.01.2030	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
33.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लायक सिंह, निवासी सुल्तानपुर जटहारा, एटा, उ0प्र0	UP-8219970031849, हल्का वाहन (NT), TRAS[TR], वैधता 22.05.2020	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
34.	श्री राम नरेश पुत्र श्री पारिक रामा, ग्राम बागवॉ, थाना मितोली, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0	UP-3120130013503, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), TRAS[TR], वैधता 22.06.2018	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
35.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मिश्री लाल, निवासी म0 नं0 101, वार्ड 12, उजाल नगर, हल्द्वानी	UP-0420000046031, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), LMV CAB [TR], वैधता 30.09.2018	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
36.	श्री शेर बहादुर पुत्र श्री नर सिंह, निवासी खटोली फरीदपुर, बरेली, उ0प्र0	UP-2520080022191, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), TRANS [TR], वैधता 30.09.2020	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
37.	श्री रवि कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरेश गुप्ता, निवासी वारमैं बुजुर्ग बिलसी, बदायूँ	UP-2420150012196, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 27.11.2035	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
38.	श्री शिव कान्त शुक्ला पुत्र श्री ब्रज मोहन शुक्ला, सैक्ट–डी 2425, इन्द्रा नगर, लखनऊ	UP-2520150023063, हल्का वाहन (NT), TRAS [TR], वैधता 17.04.2019	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018
39.	श्री मदन बैरागी पुत्र श्री देवेन्द्र बैरागी, निवासी बैकण्ठपुर, म0 नं0 1, शक्तिफार्म, ऊ0 सिं0 न0	UK-0620080093659, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), TRAS [TR], PSV BUS TR, वैधता 26.04.2018	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018

1	2	3	4	5	6
41.	श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वीर पाल, निवासी ग्राम व पो0 रफहत गौड़, थाना रामीकोट, सीतापुर, उ0प्र0	UP-3420150015886, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 08.12.2035	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	26.03.2018 से 25.06.2018

रश्मि भट्ट,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर, चम्पावत।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

28 मई, 2018 ई0

पत्रांक 497 II /पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UK03CA0332 (HGV), मॉडल 2011, चेसिस MAT361302B1B06253, इंजन नं0 697TC66BYY105964, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री उमेश खर्कवाल पुत्र श्री रामदत्त खर्कवाल, खड़ी बाजार, चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 01.05.2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 28.05.2018 को वाहन संख्या UK03CA0332 (HGV), मॉडल 2011, चेसिस MAT361302B1B06253, इंजन नं0 697TC66BYY105964 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

24 मई, 2018 ई0

संख्या–354/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2018–मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अधीन गठित सड़क सुरक्षा समिति के सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0 पार्ट–3, दिनांक 18.08.2015, सन्दर्भ संख्या 05/2014/सी0ओ0आर0एस0–पार्ट–3, दिनांक 17.11.2015 के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने के विदित अभियोग में वाहनों के चालान कर, वाहन चालकों के लाइसेन्स के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई हैं।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मोहित कुमार कोठारी, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्न चालकों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

क्र0 सं0	चालक का नाम व पता	डी0एल0 संख्या व वैधता	अभियोग	चालानकर्ता प्रवर्तन अधिकारी	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुनील सिंह नेगी पुत्र श्री पुष्कर सिंह नेगी, पता–ग्राम धौलिक, पो0 खडपलियाखाल, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320130004003, VALIDITY (NT)-22.04.2033, VALIDITY (TR)-07.05.2017	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, PAURI	24.05.2018 से 23.08.2018

1	2	3	4	5	6
2.	श्री बी0 एस0 कण्डारी पुत्र श्री सी0 के0 कण्डारी, ग्राम धारकोट, पो0 पजाना, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320050004385, VALIDITY (NT)-09.01.2024, VALIDITY (TR)-02.11.2019	नशे की हालत में वाहन का संचालन	SP, PAURI	24.05.2018 से 23.08.2018
3.	श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री विपेन्द्र सिंह, पता–ग्राम तयूंकर, पो0 चिरबाटिया, जनपद रूद्रप्रयाग	UK-1320040005482, VALIDITY (NT)-14.12.2024, VALIDITY (TR)-27.03.2017	ओवर लोड सवारी	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.05.2018 से 23.08.2018
4.	श्री इस्लाम पुत्र श्री हब्बीदुल्ला, पता मोह खेल, थाना भवन शामली, उ0प्र0	UP-19 20050002910, VALIDITY (NT)-30.03.2025, VALIDITY (TR)-20.11.2018	भार वाहन में ओवर लोड सवारी	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.05.2018 से 23.08.2018
5.	श्री नितेन पुत्र श्री कन्हैया लाल, पता–ग्राम खेडी खूर्द, फरीदाबाद–121001	HR-5120130284003, VALIDITY (NT)-14.04.2033	संकेत देने पर वाहन को रोका नहीं गया एवं निजी वाहन का व्यावसायिक प्रयोग	ARTO, RUDRAPRAYAG	24.05.2018 से 23.08.2018

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/317–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 जून 2018 ई0 (आषाढ़ 02, 1940 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

दिनांक : 07 जून, 2018 ई0

संख्या 76/मा0नि0आ0/क्षे0/उत्तरा0–लो0स0/2018(2)–यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड से हुए विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2017 के लिये जो स्तम्भ (३) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (४) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (५) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (५) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्द्वारा निरर्हित घोषित करता है:–

सारणी

क्र0 सं0	निर्वाचन का विवरण	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रम सं0 एवम् नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017	10–देवप्रयाग	श्री राजु मौर्य, ग्राम–लक्षमोली, पट्टी/पो0–मलेथा, जिला–टिहरी गढ़वाल	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे

1	2	3	4	5
2.	उत्तराखण्ड राज्य के लिए विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2017	18–धर्मपुर	श्री रुपेन्द्र कुमार तोमर, देवश्रषि एन्कलेव, देहरा खास, पो0ओ0–बन्जारावाला, देहरादून	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे
3.	–वही–	19–रायपुर	श्री राजेन्द्र प्रसाद गैराला, 47, सुमन नगर, धर्मपुर, देहरादून	–वही–
4.	–वही–	19–रायपुर	श्री रुखसार मंसूरी, 170–चन्द्र रोड, वार्ड नं0–25, डालनवाला रोड, देहरादून	–वही–
5.	–वही–	23–डोईवाला	श्री प्रकाश चन्द तिवारी, गाँव–नाथुवा वाला, दो नाली, पो0ओ0–नाथुवाला, देहरादून	–वही–
6.	–वही–	39–चौबट्टाखाल	श्री चन्द्र मोहन मुण्डेपी, ग्राम–माल्ड छोटा, पो0ओ0–देवराजखाल, तहसील–चौबट्टाखाल, जिला–पौड़ी गढ़वाल	–वही–
7.	–वही–	41–कोटद्वार	श्री अनुप थपलियाल, रतनपुर सुखरौं, कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल	–वही–
8.	–वही–	–वही–	श्री सुधीर कुमार बहुगुणा, ग्राम–उमेश नगर, काशीरामपुर (मल्ला), कोटद्वार	–वही–
9.	–वही–	68–सितारगंज	श्री हेमचन्द, कमल कॉलोनी, सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड	–वही–

आदेश से,

राहुल शर्मा,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

ORDER

7th June, 2018

No. 76/ECI/Terr/NOR-II/UKD-LA/2018 (1)--WHEREAS, the Election Commission of India satisfied that the contesting candidates specified in column (4) of the table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2017 held from Uttarakhand, as specified in column (2) and held from constituency specified in column (3) against their names, have failed to lodge account of their election expenses, as shown in column (5) of the table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made there under; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure.

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission, hereby, declares the person specified in column (4) of the table enclosed, to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

S. No.	Particulars of Election	No. and Name of Assembly Constituency	Name and Address of Contesting Candidate	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	State Assembly Election Uttarakhand-2017	10. Devprayag	Shri Raju Maury, Village-Lasmaoli, Patti & Post-Maletha, Distt.-Tehri Gharwal	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law
2.	-Do-	18. Dharmpur	Shri Rupender Kumar Tomar, Dev Rishi, Enclave, Duhrakhas, P.O. Banjarawala, Dehradun	-Do-
3.	-Do-	19. Raipur	Shri Rajendra Prasad Gairola, 47, Suman Nagar, Dharmpur, Dehradun	-Do-
4.	-Do-	-Do-	Shri Rukhshar Mansoori, 170, Chandar Road, Ward No. 25, Dalanwala, Dehradun	-Do-
5.		23. Doiwala	Shri Parkash Chand Tiwari, Vill.-Nathuwala, Donali, P.O. Nathuwawala, Dehradun	
6.	-Do-	39. Chaubattakhal	Shri Chander Mohan Mundepi, Village-Mald Chota, P.O. Devrajkhal, Tahsil-Chaubattakhal, Distt.-Pauri Garhwal	-Do-
7.	-Do-	41. Kotdwar	Shri Anoop Thapliyal, Ratanpur Sukhron, Kotdwar, Distt.-Pauri Gharwal	-Do-

1	2	3	4	5
8.	State Assembly Election Uttarakhand-2017	41. Kotdwar	Shri-Sudhir Kumar Bhuguna, Village-Umesh Nagar, Kashirampur (Malla), Kotdwar, Garhwal	Failure to lodge the account of election expenses in the manner required by law
9.	-Do-	68. Sitarganj	Shri Hem Chandra, Kamal Colony, Sitarganj, Distt. Udham Singh Nagar	-Do-

By Order,

RAHUL SHARMA,

Secretary,

ELECTION COMMISSION OF INDIA.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/317—भाग 7—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।